खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 2596/ब.प./2008–2009/दे.दून/दिनांक 19 सितम्बर, 2008

जिला क्रीड़ा अधिकारी, देहरादून।

(आहरण–वितरण अधिकारी, खेल निदेशालय)

विषयः– टनकपुर स्टेडियम के जीर्णोद्वार हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 280/VI-I/2006–4 (14) 2007 दिनांक 12 सितम्बर, 2008 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा टनकपुर स्टेडियम के जीर्णोद्वार हेतु पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्पावत द्वारा तैयार आंगणन रू. 29.42 लाख (उन्नतीस लाख बयालीस हजार मात्र) के सापेक्ष टी.ए.सी. द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि रू. 29.01 लाख (रू. उन्नतीस लाख एक हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्न शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है–

2. आंगणन में उल्लखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दर शिडयुल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आंगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति नार्म है, स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। उक्त कार्य समयबद्ध ढंग शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात ही कार्य आरम्भ करें।

8. आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। बजट एवं परिव्यय की सीता कत ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

9. निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाये।

10. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा। कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आंगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दें एंव डिग्री कालेजों/मेडिकल के हास्टलों का निर्माण एच.आई.सी. के मानकों के आधार पर प्रारम्भिग आंगणन गठित किये जाय।

12. मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XII–219/ (2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

13. उपरोक्त आंवटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

14. किसी भी व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त–पुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का क्रय डी.जी.एस.एण्ड डी. की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेन्डर (कोटेशन) नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

15. उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–2009 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्य–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम (लघुशीर्षक 108 के स्थान पर)–09–अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण–24–वृहत निर्माण कार्य आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

अतः **आप** उपरोक्त धनराशि रू. 29.01 लाख (रू. उन्नतीस लाख एक हजार मात्र) की धनराशि आहरित **कर कार्यदायी** संस्था पेयजल संसाधन विकास निर्माण निगम, चम्पावत के परियोजना प्रबन्धक को उपलब्ध **कराना** सुनिश्चित करें।

उक्त बजट आवंटन को बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ संख्या **43** पर अंकित कर लिया गया है।

(एन.एस. नेगी)
निदेशक खेल

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. खेलमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव खेल, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. जिलाधिकारी, चम्पावत।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. सहायक निदेशक, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. परियोजना प्रबन्धक, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उल्लखित शर्तो के अधीन कार्य कराते हुये धनराशि का उपयोग करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर खेल निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि शासन को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जा सके।
10. जिला क्रीड़ा अधिकारी, चम्पावत।
11. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन.आई.सी., सचिवालय, देहरादून।
13. बजट राजकोषीय नियोजन एंव संसाधन, सचिवालय, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

(आर.के. चतुर्वेदी)
अपर निदेशक खेल